

प्रेस नोट दि0-21.06.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

बीट मुख्य आरक्षी हरिकेश कुमार की सतर्कता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त को किया गिरफ्तार
थाना देल्हूपुर के बीट मुख्य आरक्षी हरिकेश कुमार ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा
बीट मुख्य आरक्षी हरिकेश कुमार ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर
एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना देल्हूपुर के बीट मुख्य आरक्षी हरिकेश
कुमार को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र
थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत मरखामई कुल्हीपुर बार्डर के पास से गैंगस्टर एकट
के 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त हत्या का प्रयास, धमकी जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग
प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर मुख्य आरक्षी हरिकेश कुमार के सहयोग से थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-
59/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एकट थाना देल्हूपुर, प्रतापगढ़ में वांछित 01 अभियुक्त मो0
तनवीर पुत्र मो0 दाऊद उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम मरखामई थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज
को आज दिनांक 21.06.2025 को थाना क्षेत्रान्तर्गत मरखामई कुल्हीपुर बार्डर के पास से गिरफ्तार
किया गया।

गैंगस्टर एकट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त मो0 तनवीर पुत्र मो0 दाऊद उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम मरखामई थाना मऊआइमा
जनपद प्रयागराज का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 212/2023 धारा 147/148/149/307/506 भादवि थाना मान्धाता जनपद
प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 59/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एकट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया
गया गिरफ्तार

अभियुक्त को थानाक्षेत्र कुण्डा के हिसामपुर तिराहा अवसानगंज रोड़ से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त थाना लालगंज से भी पूर्व में जेल जा चुका है।

प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक-23.08.2024 को धारा 137(2), 87 बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमर नाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ०नि० रविशंकर तिवारी मय हमराह का० विनोद कुमार, का० अतुल कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त आशीष सरोज पुत्र हरिकेश सरोज नि० पूरे छत्तू रामपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कुण्डा के हिसामपुर तिराहा अवसानगंज रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुण्डा में पंजीकृत अभियोग की धारा 137(2), 87 बीएनएस में धारा 64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आशीष सरोज पुत्र हरिकेश सरोज नि० पूरे छत्तू रामपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० रविशंकर तिवारी मय हमराह का० विनोद कुमार, का० अतुल कुमार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

हल्का दरोगा व बीट आरक्षी के सर्तकता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दिलीपपुर के उ०नि० विवेक यादव व आरक्षी शिवमंगल सिंह ने 01 गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

उ०नि० विवेक यादव व आरक्षी शिवमंगल सिंह ने साये की तरह विछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना दिलीपपुर के उ०नि० विवेक यादव व आरक्षी शिवमंगल सिंह को प्रशस्ति- पत्र, नगद पुरस्कार तथा चरित्र पंजीका में उत्तम प्रविष्टि हेतु दिये गये निर्देश

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त पर संगठित तरीके से साजिश कर अपहरण व गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराध में संलिप्त हैं

उ0नि0 विवेक यादव व आरक्षी शिवमंगल सिंह के सहयोग से थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी

जनपद में अपराध नियंत्रण/संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना दिलीपपुर के उ0नि0 विवेक यादव व आरक्षी शिवमंगल सिंह के सहयोग से दिनांक 21.06.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 276/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोतवाली नगर में 01 वांछित अभियुक्त (गैंग सदस्य) धीरज कुमार शर्मा पुत्र स्व0 देवनारायन शर्मा निवासी जामताली मिसिद्धिपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र अंतर्गत सगरा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. धीरज कुमार शर्मा पुत्र स्व0 देवनारायन शर्मा निवासी जामताली मिसिद्धिपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष (गैंग सदस्य)

आपराधिक इतिहास-

(गैंग सदस्य) धीरज कुमार शर्मा पुत्र स्व0 देवनारायन शर्मा निवासी जामताली मिसिद्धिपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास ।

1. मु0अ0सं0 890/23 धारा 364ए भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 276/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

□ थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर के उ0नि0 अजीत यादव मय हमराह का0 राहुल सिंह देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान एनबीडब्लू मु0न0 1446/13 धारा 323/504/506/452 भादवि से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों, 1. अलोक कुमार पुत्र केसरी नाई उम्र करीब 27 वर्ष, 2. अशोक कुमार पुत्र केसरी नाई उम्र करीब 34 वर्ष नि0 गण ग्राम सालवाहनपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अलोक कुमार पुत्र केसरी नाई उम्र करीब 27 वर्ष,
2. अशोक कुमार पुत्र केसरी नाई उम्र करीब 34 वर्ष नि0 गण ग्राम सालवाहनपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अजीत यादव मय हमराह का0 राहुल सिंह थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अपहरण कर मानव तस्करी के अभियोग से सम्बन्धित वारण्टी/वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त को जनपद प्रयागराज के थाना हण्डिया क्षेत्रांतर्गत उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त को जनपद प्रयागराज के थाना हण्डिया पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है।

प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज में प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 363, 366(क), 370, 328 भादवि बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 राजेश कुमार गुप्ता द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान 01 अभियुक्त कुशल उर्फ शुभम तिवारी पुत्र स्व0 रविशंकर तिवारी निवासी ग्राम सराय मंसूर (ढोकरी) थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज उम्र करीब 26 वर्ष को जनपद प्रयागराज थाना हण्डिया पुलिस के सहयोग से अभियुक्त को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय प्रतापगढ़ द्वारा वारण्ट निर्गत किया गया था। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कुशल उर्फ शुभम तिवारी पुत्र स्व0 रविशंकर तिवारी निवासी ग्राम सराय मंसूर (ढोकरी) थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज उम्र करीब 26 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 राजेश कुमार गुप्ता थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सक्रिय 05 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग किया गया पंजीकृत-

एसपी प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी, अपहरण धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट, मारपीट, धमकी आदि जैसे संगीन अपराध कारित करने वाले कुल 05 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

गैंगलीडर अभियुक्त गैंगलीडर सत्यम तिवारी उर्फ अतुल सिंह उपरोक्त पर जनपद प्रतापगढ़ में चोरी, अपहरण धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट, मारपीट, धमकी जैसे संगीन कुल 7 अपराध दर्ज है ।

गैंग सदस्य अभियुक्त धीरज कुमार शर्मा, चन्दन यादव, रंजीत यादव उपरोक्त पर जनपद प्रतापगढ़ में अपहरण, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन प्रत्येक पर 2-2 अपराध दर्ज है ।

प्रतापगढ़ ।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज डॉ० श्री संजीव गुप्ता व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री अजय कुमार मिश्र के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है ।

थाना कोतवाली नगर-

अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर /सदस्य, 01- गैंगलीडर सत्यम तिवारी उर्फ अतुल सिंह पुत्र अमरनाथ तिवारी निवासी ग्राम खैरुद्दीनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ हाल पता ए-2/4 सेक्टर एफ एलडीए कालोनी, नियर पावर हाऊस चौराहा थाना आसियाना जनपद लखनऊ, सदस्य 2. धीरज कुमार शर्मा पुत्र स्व० देवनारायण शर्मा निवासी जामताली मिसिद्धिपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़, 3. चन्दन यादव पुत्र विजय प्रकाश यादव निवासी नरसिंहपुर थाना कंधई प्रतापगढ़, 4. रंजीत यादव पुत्र सुरेश चन्द्र यादव निवासी पटखौली टेऊंगा थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़, 05. मो० असगर पुत्र मुनीर अहमद निवासी ग्राम सड़क खदेरुआपुर सिटी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ 05. मो० असगर पुत्र मुनीर अहमद निवासी ग्राम सड़क खदेरुआपुर सिटी थाना कोतवाली देहात जनपद

प्रतापगढ़ के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 276/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तों द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर संगठित तरीके अपहरण, गैंगस्टर एक्ट आदि के अपराधों को कारित किया है।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

01- गैंगलीडर सत्यम तिवारी उर्फ अतुल सिंह पुत्र अमरनाथ तिवारी निवासी ग्राम खैरुद्दीनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ हाल पता ए-2/4 सेक्टर एफ एलडीए कालोनी, नियर पावर हाऊस चौराहा थाना आसियाना जनपद लखनऊ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 312/2021 धारा 170,171,307,411,419,420,467,468,471 भादवि थाना हरैया जनपद बस्ती।
2. मु0अ0सं0 506/2022 धारा 170,420,467,468,471 भादवि थाना कोतवाली जनपद बरेली।
3. मु0अ0सं0 68/2023 धारा 380,411 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 890/2023 धारा 364ए भादवि थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 17/2024 धारा 380,411 भादवि थाना मडुआडीह जनपद वाराणसी।
6. मु0अ0सं0 319/2024 धारा 204, 205, 316(2), 318(4), 319(2), 336(3),338,340,351(2),352 बीएनएस थाना कृष्णानगर लखनऊ।
7. मु0अ0सं0 276/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़।

02- (गैंग सदस्य) धीरज कुमार शर्मा पुत्र स्व0 देवनारायन शर्मा निवासी जामताली मिसिद्धिपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास।

1. मु0अ0सं0 890/23 धारा 364ए भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 276/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़।

03- (गैंग सदस्य) चन्दन यादव पुत्र विजय प्रकाश यादव निवासी नरसिंहपुर थाना कंधई प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास।

1. मु0अ0सं0 890/23 धारा 364ए भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 276/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़।

04- (गैंग सदस्य) रंजीत यादव पुत्र सुरेश चन्द्र यादव निवासी पटखौली टेऊंगा थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास।

1. मु0अ0सं0 890/23 धारा 364ए भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 276/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़।

05- (गैंग सदस्य) मो0 असगर पुत्र मुनीर अहमद निवासी ग्राम सड़क खदेरुआपुर सिटी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास।

01. मु0अ0सं0 276/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़।

बयान- जनपद में अपराध एवं अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराधियों की अवैध गतिविधियों को चिन्हित कर उनकी संपत्तियों की कुर्की व उनकी आपराधिक गतिविधियों पर कठोर कार्यवाही की जा रही है। अपराध की दुनिया में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

जनता से अपील है कि वह भयमुक्त होकर अपना जीवन यापन करें एवं किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। जनपद की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

□ थाना उदयपुर पुलिस की गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त की चल सम्पत्ति कुर्की की कार्यवाही

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा कुल कीमत- 34 लाख रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया गया, इससे पहले भी 50 लाख की सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है।

अभियुक्त चन्द्रशेखर सिंह उपरोक्त की अभी तक कुल 84 लाख की सम्पत्ति कुर्क की गई है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार एवं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय, क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राम सूरत सोनकर एवं संलग्न थानाध्यक्ष उदयपुर की रिपोर्ट के आधार पर यह अवगत कराया गया है कि थाना संग्रामगढ़ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 03/2025, धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 के अन्तर्गत वांछित अभियुक्त/गैंगलीडर चन्द्रशेखर सिंह पुत्र हरिकेश बहादुर सिंह निवासी मोहम्मदपुर खास, थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ एक शातिर अपराधी है, जिसका एक संगठित गिरोह जनपद स्तर पर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है।

उक्त अभियुक्त वर्ष 2021 से गोवंशीय पशुओं की तस्करी, मारपीट एवं अन्य आपराधिक कृत्यों के माध्यम से अवैध रूप से चल सम्पत्तियाँ अर्जित करता रहा है। अभियुक्त की आय का कोई वैध स्रोत ज्ञात नहीं है एवं उसकी पैतृक संपत्ति नगण्य है।

गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्की की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी प्रतापगढ़ श्री शिव सहाय अवस्थी व पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार द्वारा आदेशित किए जाने के क्रम में तीन ट्रक एवं एक ट्रैक्टर को चिन्हित किया गया। इनमें से ट्रक वाहन संख्या यूपी 72 बीटी 7826 व ट्रैक्टर वाहन संख्या यूपी 72 W 1572 को थानाध्यक्ष उदयपुर श्री राधेश्याम द्वारा पुलिस द्वारा बरामद कर थाना संग्रामगढ़ परिसर में खड़ा कराया गया है। इस प्रकार कुल कीमत- 34 लाख रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया गया।

इससे पूर्व वाहन संख्या यूपी 72 बीटी 3506 व 01 ट्रक नम्बर यूपी 72 बीटी 7825 को थानाध्यक्ष उदयपुर श्री राधेश्याम द्वारा बरामद किया गया था। इस प्रकार कुल कीमत- 50 लाख रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया गया था।

उक्त वाहनों का उपयोग अभियुक्त द्वारा बालू ढुलाई जैसे कार्यों में निरंतर किया जा रहा था, जिससे अवैध लाभ अर्जित किया जा रहा था। संबंधित वाहनों की कुर्की की कार्यवाही विधिसम्मत रूप से जारी है।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त/गैंगलीडर चन्द्रशेखर सिंह पुत्र हरिकेश बहादुर सिंह निवासी मोहम्मदपुर खास, थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 - 139/21, धारा 147, 323, 504, 506, 427 भा.द.वि. व 3 (1)द, 3(1)घ, 3(2) 5क एससी/एसटी ऐक्ट थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0- 15/ 22, धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 - 03/25, धारा-2 / 3 गैंगेस्टर ऐक्ट थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।